A 6

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
19 / अपील / 20	08.09.2020	09.09.2021

महेशकुमार माता कमला पिता रामबिलास जाति खाती निवासी सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. नर्बदा पत्नि रोडू जाति खाती निवासी हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. शांति पत्नि जगदीश जाति खाती निवासी हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. स्तरा पुत्री जगदीश पत्नि रामराज जाति खाती निवासी सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राज0 राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. श्रीमान उप पंजियक महोदय दबलाना जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री शम्भूदयाल शर्मा एड0
रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से श्री निखिल शर्मा एड0
रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से श्री राजकुमार दाधीच एड0
रेस्पो0 संख्या 4 व 5 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

1. यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 18.01.2008 वाके ग्राम हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा सख्या 210, 211, 215, 216, 218, 363, 365, 395, 396 कुल किता 10 कुल रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम हरमाली का खेडा मृतक सहखातेदार जगदीश आ0 माधो कौम खाती की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ड संख्या 1 के पति रोडूलाल रेस्पोडेन्ड संख्या 2 शांति बाई रेस्पोडेन्ड संख्या 3 संतरा बाई के नाम दर्ज की गई है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

2. बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

3. अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सख्या 210, 211, 215, 216, 218, 363, 365, 395, 396 कुल किता 10 कुल रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली विस्थित हैं। उक्त आराजी के मूल सहखातेदार जगदीश पि0 माधो जाति खाती थे। सहखातेदार जगदीश की मृत्यु के

तस्दीक किये गये विवादित नामान्तरकरण में जगदीश जी के पुत्र रोडूलाल बेवा [illegible] पुत्री संतरा बाई का नाम अंकित किया गया हैं। मृतक सहखातेदार जगदीश के एक पुत्री कमला बाई भी हैं जिसकी मृत्यु दिनांक 21.06.1992 को हो गई हैं। अपीलांट मृतक जगदीश की पुत्री मृतक कमला बाई का पुत्र हैं। जगदीश की मृत्यु के उपरांत जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया हैं उसमें अपीलांट का नाम भी अंकित किया जाना चाहिए। पक्षकारान में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होता हैं जिसकी धारा 8 के तहत पुरूष की मृत्यु पर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में मृतक पुत्री का पुत्र भी शामिल हैं। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 ने अपने जवाब में अपीलांट को मृतक सहखातेदार जगदीश की पुत्री मृतक कमला का पुत्र होना स्वीकार किया हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा मृतक जगदीश के वारिसान की जानकारी के बिना विवादित नामान्तरकरण तस्दीक किया गया हैं जो विधि विरूद्ध हैं। विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रभावी नामान्तरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती हैं। विवादित नामान्तरकरण में अंकित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली की न्यायालय में नियमित वाद बाबत् अधिकार घोषणा एवं बंटवारा का विचाराधीन हैं। रेस्पोडेन्ड संख्या 2 शांति बाई ने विवादित नामान्तरकरण से प्राप्त भूमि को रेस्पोडेन्ड संख्या 3 संतरा बाई के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया और भूमि संतरा के नाम दर्ज हो जाने का अनुचित फायदा उठा कर अपीलांट को दिनांक 15.08.2020 को अपीलांट के कब्जे काश्त की अपीलाधीन भूमि पर से बेदखल करने की धमकी दी और कहा कि भूमि हमारे नाम दर्ज करवा ली हैं, तेरी मॉ कमला व तेरा नाम भूमि में नहीं हैं, तेरे हिस्से 1/6 भूमि से बेदखल करेगें। रेस्पोडेन्ड संख्या 3 संतरा बाई द्वारा धमकी देने पर अपीलांट ने दिनांक 17.08.2020 को जमाबंदी की नकल निकलवाई तथा विवादित नामान्तरकरण की नकल दिनांक 24.08.2020 को प्राप्त हुई। इस प्रकार विवादित नामान्तरकरण की नकल दिनांक 24.08.2020 को प्राप्त होने से उक्त अपील अन्दर मियाद अवधि प्रस्तुत हैं यदि विलम्ब माना जावें तो विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पृथक से प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावें। वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 368, 370, आरआरडी 2010 पेज 50, डीएनजे (राज.) 2020(1) पेज 121 की नजीरें पेश की।

4. रेस्पोडेन्ड संख्या 1 के वकील ने व्यक्त किया कि उन्हें अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

5. वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 2 व 3 ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 18.01.2008 तहसीलदार हिण्डोली द्वारा संपूर्ण विधिक जांच एवं सुनवाई उपरांत तस्दीक किया गया हैं जो विधि अनुरूप हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ड रिश्तेदार होने से आपस में एक दूसरे के यहां आते–जाते रहते हैं। आपस में रिश्तेदार होने से अपीलांट को जगदीश की मृत्यु होने की जानकारी तथा मृत्यु के बाद विवादित नामान्तरकरण की भी जानकारी थी। विवादित नामान्तरकरण की अपील लगभग 12 वर्ष पश्चात पेश की हैं। अपीलांट इस कारण किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में जो कारण बताये हैं वो पूर्णतः कृत्रिम, मिथ्या एवं निराधार हैं यह कारण सम्यक पर्याप्त एवं विधि सम्मत नहीं हैं। विलम्ब को क्षम्य हेतु जो प्रार्थना पत्र धारा 5 का प्रस्तुत किया गया हैं जो मात्र अपनी गलती एवं दुर्भावना को छुपाने के लिए प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

A 6/13

यथावत रखा जावें। वकील रेस्पोडेन्ड ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी ...र 2002 पेज 527, आरआरडी 1984 पेज 261 की नजीरें पेश की।

6. वकील राजकीय अभिभाषक ने व्यक्त किया कि अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावें।

7. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

8. अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है। वकील अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों को दोहराते हुये अपील दायर करने में हुई देरी को क्षमा करते हुये अपील को गुणावगुण पर निस्तारित करने की प्रार्थना की हैं।

9. रेस्पोडेन्ड संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने अपील को लंबी अवधि से मियाद बाहर होना बताते हुये प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों को कृत्रिम, बनावटी व अपर्याप्त कारण बताते हुये मियाद को क्षमा किये जाने का घोर विरोध किया और इस आधार पर ही अपील को खारिज करने की प्रार्थना की हैं।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों में यह मत निर्धारित किया गया हैं कि लंबी से लंबी की देरी को तभी क्षमा किया जा सकता हैं जबकि देरी करने वाला पक्षकार देरी के संतोषजनक कारणों एवं परिस्थितियों से न्यायालय को संतुष्ट कर देवें।

11. इस संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं इसके संलग्न शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को हम संतोषजनक व परिस्थितिजन्य तथ्य होना स्वीकार करते हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता हैं।

12. जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन विवादित नामान्तरकरण सहखातेदार जगदीश की मृत्यु के उपरांत विवादित नामान्तरकरण में मृतक जगदीश के पुत्र रोडूलाल बेवा शांति व पुत्री संतरा बाई के नाम तस्दीक किया गया हैं।

13. तहसीलदार हिण्डोली द्वारा मृतक जगदीश के सभी विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई हैं। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 ने भी अपीलांट को मृतक जगदीश की पुत्री मृतक कमला बाई का पुत्र होना स्वीकार किया हैं जिससे यह प्रमाणित हो जाता हैं कि नामान्तरकरण कार्यवाही में विधिक दोष रहा हैं।

14. वकील अपीलांट द्वारा विवादित नामान्तरकरण में अंकित आराजी के संबंध में एक नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के यहां विचाराधीन होना अवगत करवाया गया हैं परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

15. अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 18.01.2008 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक सहखातेदार जगदीश के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे।

अति० जिला कलक्टर

16. पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)